न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 120 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.मीरा पत्नि श्री गोपाराम जी 02.सांवताराम पुत्र श्री गोपाराम जी जातियान पटेल निवासीगण ग्राम लूणावास खारा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.बेनाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति पटेल निवासी ग्राम लूणावास खारा तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.श्रीराम पुत्र श्री जैताराम 03.ओमप्रकाश पुत्र श्री जैताराम 04.धनश्यामसिह पुत्र श्री जैताराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम लूणावास खारा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 05.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवडा।

02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति।

आदेश

दिनांक :– 01/08/2023

प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि ग्राम लूणावास खारा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा नम्बर 1058 कुल रकबा 4.7540 हैक्टर आयी हुई स्थित हैं प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के पूर्व दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या एक की खसरा संख्या 1059 की रकबा 1.4892 हैक्टर एवं उसी प्रकार से अप्रार्थीगण संख्या दो से चार की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1060 रकबा 0.6070 हैक्टर कृषि भूमि आयी हुई स्थित है एवं उसके वाद मे कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित है। सुविधा के लिहाजा से प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण की खातेदारी की जमाबन्दीयो एव कटाणी रास्ते से लेकर प्रार्थीगण की खातेदारी का राजस्व नक्शा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किये गये प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण की पूर्व दिशा मे स्थित कटाणी रास्ते से प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु खसरा संख्या 1060 मे से 1059 मे से उतरी दिशा की तरफ 30 फुट का रास्ता कटाण करवा दिया जावें एव उसके बदले मे उचित प्रतिफल राशि ले लेवे लेकिन प्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध ही नही है इस कारण से प्रार्थीगण की कृषि भूमि कार्यो से वंचित रहना पड रहा है एव रास्ते के अभाव मे खेती भी नही कर पा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1059 व 1060 की कृषि भूमि मे से चाहे गये कटाणी रास्ते से अपने खेत मे जाने हेतु रास्ते का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे ए से बी मार्क कर दर्शाया गया है उक्त रास्ता 30 फुट की चौडाई मे उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। इन तमाम परिस्थितियों मे प्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

के पास माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण को रजि,एडी से नोटिस जारी किये गये जिसकी रसीदे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जो शमिल मिसल की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जबाव पेश किया गया प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर बहस सुनी गई तहसीलदार झंवर द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिसल हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

पत्रावली मे प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया । मौका फर्द दिनांक 14.07.2023 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 1058 मे जाने के लिए खसरा संख्या 1059 मे से लम्बाई 383 फीट चौडाई 30 फीट का रास्ता रकबा 0.13 बीधा अर्थात 0.1067 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु जायेगी। जो कि प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः–प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 14.07.2023 मे वर्णित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 1059 राजस्व ग्राम लूणावास खारा के रूप मे दर्शित किया है उसे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करे मौके पर कायम करे। एंव प्रार्थीगण उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो मौका फर्द दिनाक 14.07.2023 मे अकित है वह प्रार्थीगण द्वारा प्रतिफल राशि के चैक अथवा डी,डी बनाकर तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रस्तुत करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झंवर का तहरीर जारी की जावे। एवम्र मौका फर्द दिनांक 14.07.2023 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अधिकारी,
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner